वित्त मंत्रालय

# राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 'ऑपरेशन फायर ट्रेल' के अंतर्गत 5.01 करोड़ रुपये मूल्य के 83,520 चीनी पटाखों की तस्करी नाकाम की; 4 गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 19 OCT 2025 6:42PM by PIB Delhi

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने दीपावली से पहले पटाखों के अवैध आयात को रोकने के लिए एक सक्रिय प्रयास के अंतर्गत, 'ऑपरेशन फायर ट्रेल' के तहत तूतीकोरिन बंदरगाह पर चालीस फुट के दो कंटेनर पकड़े। इन कंटेनरों में 83,520 चीनी पटाखे पाए गए, जिन्हें इंजीनियरिंग सामान बताकर गलत तरीके से आयात किया गया था। 5.01 करोड़ रुपये मूल्य के इस प्रतिबंधित सामान को सिलिकॉन सीलेंट गन के कवर कार्गो के साथ जब्त कर लिया गया।

डीआरआई अधिकारियों ने 14-18 अक्टूबर 2025 तक समन्वित अभियानों के दौरान, आयातक को तूतीकोरिन में गिरफ्तार किया और जांच के आधार पर, चेन्नई और तूतीकोरिन से तीन अन्य

व्यक्तियों (मुंबई के दो व्यक्तियों सहित) को गिरफ्तार किया। इस मामले में उनकी समन्वित भूमिका के लिए चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

विदेश व्यापार नीति के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अंतर्गत पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के तहत डीजीएफटी और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अवैध आयात और गलत घोषणा न केवल विदेशी व्यापार और सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करती है, बल्कि पटाखों की अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के कारण सार्वजनिक सुरक्षा और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करती है।

डीआरआई तस्करी से निपटने, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

*****

**पीके/केसी/पीके**

(रिलीज़ आईडी: 2181013) आगंतुक पटल : 340

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में

पढ़ें: Gujarati , English , Urdu , Marathi , Bengali , Punjabi , Tamil , Malayalam